

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14(435/38)2020/एफसीए/प्रमुवसं/1956

दिनांक 18/7/24

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation. Retail Outlet on Jaipur-Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486 At village Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, Dist. Churu, Raj. (Proposal No. FP/RJ/Road/49638/2020)

संदर्भ:- राज्य सरकार के पत्रांक प. 1(103)वन/2021, जयपुर दिनांक 07.01.2022

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर के पत्रांक 4742 दिनांक 27.06.2024 से प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट बिन्दुवार प्रेषित हैं:-

क्र.सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया गया है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

.....P.T.O.

7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट उंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट उंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट (मूल प्रति) संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि रुपये 1,64,846/- (अक्षरे एक लाख चौसठ हजार आठ सौ छियालीस रुपये मात्र) 161602 On 02.03.2022 3244 On 25.05.2024 <u>Total = 164846</u> जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरान्त ई-चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति	यूजर एजेन्सी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। विवरण निम्नानुसार है:- UTR. No. SBINR52022020265063250 के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है। CA - 164846/- NPV - 47714/- <u>Total 212560/-</u>

	की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	
13.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
14.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
15.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई हैं।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीया,


 (शिखा मेहरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(435/38)2020/एफसीए/प्रमुखसं/

दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

2. वरिष्ठ प्रबंधक, (खुदरा बिक्री), जोधपुर मण्डल कार्यालय, इंडियन ऑयल, लिमिटेड, जोधपुर
 पिन-342008


 (दिनेश कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
 अरण्य भवन, जयपुर

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the payment yet to be made.

: This icon shows that the challan has been generated.

: This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :

Select User Agency :

Payment Status : ☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All

Bank Name : Mode of Payment :

Transaction Date (From) : Transaction Date (To) :

Enter value for Search :

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/49638/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/49638/2020) Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 - 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village - Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu, Raj	ROAD496382020578	07 Jan 2022	CA: 3244/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 0/- Total : 3244/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On 24 May 2024 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 25 May 2024 Transaction Date 28 May 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/170520241849257262_FPRJROAD496382020_User_Fund_Dema Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD496382020578)
2	FP/RJ/ROAD/49638/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/49638/2020) Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 - 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village - Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu, Raj	ROAD496382020134	07 Jan 2022	CA: 161602/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 47714/- Total : 209316/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On 23 Feb 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 02 Mar 2022 Transaction Date 04 Mar 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/210220221403086642_FPRJROAD496382020_User_Fund_Dema Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD496382020134)

Verified

(दिनेश कुमार गुप्ता)
(विन वन सर्वेक्षक, (एफ.सी.ए.)
राजस्थान, जयपुर



SWACHH BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.GOV.IN/)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

india.gov.in

(HTTPS://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN/)

Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN/)

my gov

(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

Meity

कार्यालय सभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

E-mail - ccf.bknr.forest@rajasthan.gov.in & Phone: Office 0151-2200321 कोठी नं.8 कैम्पस, बीकानेर-334001(राज.)
क्रमांक : एफ12(309)सर्वे/संभुवसं/2021-22/00359/ 4742 दिनांक : 27-06-2024
निमित्त

श्रीमान ~~...~~ प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

विषय :- Diversion of 0.0712 Ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 - 450.439) LHS in Khasra No. 486, at Village - Rajaldesar, Tehsil Ratangarh, Distric - Churu, Rajasthan (FP/RJ/ROAD/496382020)

संदर्भ :- उप वन संरक्षक, चूरू का पत्रांक 5021 दिनांक 18.06.2024 के क्रम में।
(Online Proposal No.: FP/RJ/ROAD/496382020)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि Online Proposal No. FP/RJ/ROAD/496382020 में राजस्थान सरकार, वन विभाग का पत्रांक प.1(103)वन/2021 जयपुर दिनांक 07.01.2022 से जारी की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना उप वन संरक्षक, चूरू का पत्रांक 5021 दिनांक 18.06.2024 (प्रति संलग्न) से प्रस्तुत की गयी है, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा बिन्दुवार पालना निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र. सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण

Signature valid

Digitally signed by Harmana Ram
Designation: Chief Conservator Of
Forest

Date: 2024.06.27 14:20:44 IST

Reason: Approved

Page No. 1 of 3

	मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री-गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट उंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने तथा उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षमिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री-गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट उंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने तथा उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षमिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट (मूल प्रति) संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव कार्य हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि 1,61,602/- कैम्पा निधि में दिनांक 04.03.2024 से यूटीआर नं. SBINR52022030470350523 द्वारा कैम्पा राजस्थान में जमा करवाये गये, एवं इस दौरान श्रमिक दरों में वृद्धि होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवश्यक अन्तर धनराशि रुपये 3244/- कैम्पा निधि में दिनांक 25.05.2024 को जमा करवाये गये हैं। अतः वृक्षारोपण कार्य विभाग द्वारा करवाया जाना है। (चालान की प्रति संलग्न)
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 47,714/- रुपये दिनांक 04.03.2024 से यूटीआर नं. SBINR52022030470350523 द्वारा कैम्पा राजस्थान में जमा करवाये गये। (चालान की प्रति संलग्न)

Signature valid

Digitally signed by Harumana Ram
RajKaj Ram
837950 Forest
Designation: Chief Conservator Of

Date: 2024.06.27 14:20:44 IST

Reason: Approved

Page No. 2 of 3

	संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	
14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाएं तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रति संबंधित को उपलब्ध करवा दी गई है।

संलग्न :- मूल पत्रावली 1 मय 12 कॉलम प्रपत्र।

(हनुमाना राम)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर
दिनांक :

क्रमांक : एफ12(329)सर्वे/संमुवसं/2022-23/00293/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- (1) उप वन संरक्षक, चूरु।
- (2) वरिष्ठ प्रबन्धक, (खुदरा बिक्री), जोधपुर मण्डल कार्यालय, इंडियन ऑयल, कॉर्पोरेशन, लिमिटेड, जोधपुर-342008।
{Mail- ioclchurufca@gmail.com}

Signature valid

Digitally signed by Hanumana Ram
RajKaj R Designation: Chief Conservator Of
837950 Forest

Date: 2024.06.27 14:20:44 IST

Reason: Approved

Page No. 3 of 3

कार्यालय उप वन संरक्षक, चूरु

कार्यालय दूरभाष नम्बर 01562-250938
कार्यालय पता : वानिकी पथ, नेचर पार्क, चूरु

ई-मेल पता :-
dcf.churu.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ 005/सर्वे/उवसं/2024-25/5025

दिनांक :- 18/07/2024

श्रीमान सभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर।

विषय:-Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur -Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 - 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village - Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu, Raj.(FP/RJ/ROAD/49638/2020).

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलोच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया गया है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के

उप वन संरक्षक
चूरु

	अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट उंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट उंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट (मूल प्रति) संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। (संलग्न)
11	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि रुपये 1,61,602/- (अक्षरे एक लाख इकसठ हजार छः सौ दो रुपये मात्र) UTR. No. SBINR52022030470350523 के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है एवं इस दौरान श्रमिक दरों में वृद्धि होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवश्यक अतिर धनराशि रुपये 3244/- (तीन हजार दो सौ चवालीस रुपये मात्र) Application no. 6149638578 date 28.05.2024 से कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है। जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आईओ संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफओसी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध	यूजर एजेंसी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि 47714/- (चौदह हजार सात सौ चौदह रुपये मात्र) के माफ़ फंड में जरिये ई-चालान जमा कराये गये है। विवरण निम्नानुसार है:- UTR. No. SBINR52022030470350523 से

उप वन सहायक
चूरु

	वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई-चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये हैं जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.बी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी। इस प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.बी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी। इस प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

संलग्न :-प्रकरण की तीन प्रतियों में मूल फाईल।

क्रमांक:- सम/5022

प्रतिलिपि श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(भवानी सिंह)

उप वन संरक्षक

चूरु

दिनांक-18/06/2024

उप वन संरक्षक

चूरु

दिनांक : 30.05.2024

उप वन संरक्षक

चूरु (राज०)

संदर्भ : कार्यालय उप वन संरक्षक, चूरू के पत्र क्रमांक एफ 0 05 सर्वे/उवस/2024-25/4143
दिनांक 15/05/2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में निवेदन है कि उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृती की पालना की गयी थी परन्तु इस दौरान श्रमिक दरो में वृद्धि होने के कारण क्षतीपूरक वक्शोरोपण हेतु अधिरोपित राशि में अन्तर आने के कारण आपके कार्यालय द्वारा अन्तर की राशी अक्षरे 3244/- (तीन हजार दो सौ चवालीस रुपये मात्र) रुपये जमा करने के लिये निर्देशित किया गया था अतः उक्त की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्तर की धनराशी ऑनलाईन चालान के माध्य से कैम्पा नई दिल्ली में जमा करा दी गई है जमा की गयी राशी का विवरण सलग्न है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में स्वीकृति दिलाने की कृपा करें।

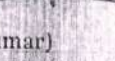


भवदीय

(Ajay Kumar)
Asst. Manager

Indian Oil Corporation Ltd.
Jaipur Divisional Office, P. O. No. 1
LIC Investment Building, Phase I
Jaipur.

Jaipur


 Rajesh Kumar
 Asst. Manager
 Corporation Ltd.
 Regional Office, Phase II,
 Industrial Building, Phase II,
 Jaipur.

उप वन संरक्षक

DT-07.03.2024

चूरु

विषय : क्रमांक एफ 05/सर्वे /उ व स/2023-24/554

महोदया,

उपरोक्त विस्तारगत सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपने राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.(103)वन/2021 जयपुर, दिनांक 07.01.2022 के बिंदु संख्या 12 एवं 13 की अनुपालना में जमा करवाई गयी राशि का बैंक चालान / युटीआर संख्या / एन ई एफ टी नम्बर की छायाप्रति चाही थी

अतः बैंक द्वारा लिखित पत्र जिसमें युटीआर संख्या उल्लेखित है अग्रिम कार्यवाही के लिए संलग्न है



भवदीय

नवीन पारख

Deputy Conservator of Forest, Churu (Rajasthan)

Performa For Verification of Deposits in Compensatory Afforestation Fund							
1	Name of Regional Office		MOEF&CC, Regional Office Jaipur (Rajasthan)				
2	State/District/Forest Division to which the proposal Relates		Rajasthan/Churu/Churu				
3	Name of User agency, Nature of proposal		Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur -Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 - 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village - Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu, Raj. (FP/RJ/ROAD/49638/2020).				
4	Nature of category of proposal		Petrol Pump/Approach				
5	Proposal Number		FP/RJ/ROAD/49638/2020				
6	Extent of Forest area involved		-				
7	Whether original or extension		Original				
8	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so specify		Nil				
9	Date of 1st Stage Clearance		07 JAN 2022 Govt. of Rajasthan, Forest Department Letter P 1 (103) /Forest / 2021 Dated 07.01.2022				
10	Extent of CAMPA Charges, head wise viz		-				
(a)	Compensatory Afforestation		Rs. 1,61,602/-				
(b)	Additional Compensatory Afforestation		Rs. 3,244/-				
(c)	Penal Compensatory Afforestation		-				
(d)	Catchment area Treatment		-				
(e)	Wildlife Management Plan		-				
(f)	Additional Charges for Diversion of area falling under notified/protected areas		-				
(g)	Net Present Value		Rs. 47,714/-				
(h)	Any Other Charges Levies (please specify)						
	Total		Rs. 2,12,560/-				
11	Whether Payment Through challan or otherwise, in case of Online Payment, details of Challan		Beneficiary Name : Rajasthan Campa IFSC Code : UBIN0903710 Pay to Account No. : 150856149638134 Date : 04.03.2022 IFSC Code : UBIN0996335 Pay to Account No. : 150856149638578 Date : 28.05.2024				
12	Details of deposits						
S.N.	Type of deposit (NPV/CA/WMP/ Other (specify))	Whether by RTGS/DD/ NEFT (Specify)	UTR DD No.	Amount deposited (Rs.)	Date of Deposit	Name of bank from which amount transferred to account of CAF	Bank Account of CAF managed by CAMPA in which fund deposited
1	(NPV/CA)	RTGS	UTR.No. SBINR52022030470350523	2,09,316/-	04.03.2024	SBI	RAJASTHAN CAMPA ACCOUNT
2	CA	RTGS	Dated 28.05.2024	3,244/-	25.05.2024	SBI	RAJASTHAN CAMPA ACCOUNT


 (Bhawani Singh)
 Deputy Conservator of Forest,
 Churu (Raj.)

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक : ~~25-10-2023~~

11-12-2023

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,

चुरु, राजस्थान।

विषय:—Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

संदर्भ:— शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 एवं आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक: एफ () 05/सर्वे/उवस/2021-22/1011 दिनांक 17-02-2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आर्नेलाईन प्रस्ताव संख्या :—FP/RJ/ROAD/49638/2020

क्र.स.	भारत	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के


(सुधांशु अरोड़ा) / Sudhanshu Arora
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
जयपुर-302005
जयपुर-302005
जयपुर-302005

	अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराशि 1,61,602/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 04.03.2022 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010- CAMPA	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.


 (सुधंशु अरोड़ा) / Sudhanshu Arora
 मुख्य प्रबन्धक (रिट सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
 Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
 जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
 जयपुर तल एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-II
 First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
 चक्र संकलित के पास भवन The रोड, जयपुर-302005
 Near Circle, Bhawan Singh Road, Jaipur-302005

	दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 47,714/- रुपये दिनांक 04.03.2022 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
14.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
15.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय


(Sudhanshu Arora)
 Chief Manager (Retail Sales)
 Indian Oil Corporation Ltd.
 Jaipur Divisional Office, First Floor,
 LIC Investment Building, Phase-II,
 Jaipur
 (सुधांशु अरोरा) Chief Manager (Retail Sales)
 मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
 जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
 प्रथम तल, एल आई सी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-II
 First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
 अम्बेडकर सर्किल के पास, भवाना सिंह रोड, जयपुर-302005
 Near Ambedkar Circle, Bhawana Singh Road, Jaipur-302005



राजस्थान RAJASTHAN

BG 124706

शपथ-पत्र

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.429) LHS in Khassra No. 406, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

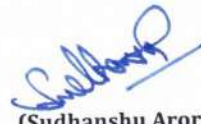
मैं सुधांशु अरोड़ा शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि

1. यह है कि मिकर एक भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अंटानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम मंज एलआईसी इन्वेस्टमेंट्स बिल्डिंग, फेज-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर मार्गित के पास बहारवा सुग्ग रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Crde, Bhawara Sugh Road, Jaipur-302005

5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गाई लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
11. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।
12. यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
13. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
14. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
15. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय



(Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd.

Jaipur Divisional Office, First Floor
LIC Investment Building, Phase-II,
Jaipur
(मुख्य प्रबन्धक रिटेल सेल / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambekar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)

Indian Oil Corporation Ltd.

Jaipur Divisional Office, First Floor,

EIC Investment Building Phase-II,

Jaipur

(सुधांशु अरोरा)
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्रा.प.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल पर ई.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-II
First Floor, EIC Investment Building, Phase-II
अनंद के.ए. रोड के पास, ब्रह्मराज सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Anand K. A. Road, Brahmraj Singh Road, Jaipur-302005

C.S.
4/1-
उप वन संरक्षक
चुरू

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur – Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

C.S.
41-
उप वन संरक्षक
चुरू

(Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jaipur Divisional Office, First Floor,
LIC Investment Building, Phase-II
Jaipur
Indian Oil Corporation Ltd. (Retail Sales)
Jaipur Divisional Office, First Floor,
LIC Investment Building, Phase-II
(M.D.)
Indian Oil Corporation Ltd. (Retail Sales)
Jaipur Divisional Office
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल एलआईसी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

e.s.
4/11-
उप वन संरक्षक
चुरु



(Sudhanshu Arora)

Chief Manager (Retail Sales)

Indian Oil Corporation Ltd.

Jaipur Divisional Office, First Floor,

LIC Investment Building, Phase-II, Jaipur

(सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल), / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानि सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

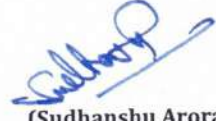
Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

स.स.
4/11
उप वन संरक्षक
घरु


(Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jaipur Divisional Office, First Floor
(सुधंशु अरोरा / Sudhanshu Arora)
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

2.5.1
31.10.23
वन संरक्षक
चुरू

भवदीय



(Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jaipur Divisional Office, First Floor,
LIC Investment Building, Phase-II, Jaipur
(सुधांशु अरोरा) Chief Manager (Retail Sales)
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (म.ड.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एलआईसी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

C.S.
7/11
उप वन संरक्षक
चुरू


(Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jaipur Divisional Office, First Floor
LIC Investment Building, Phase-II
Jaipur
(सुधांशु अरोरा) (Chief Manager (Retail Sales))
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

C.S.
M.
वन संरक्षक
चुरु

भवदीय



(Sudhanshu Arora)

Chief Manager (Retail Sales)

Indian Oil Corporation Ltd.

Jaipur Divisional Office, First Floor,

LIC Investment Building, Phase-II,

(सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)

मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)

Indian Oil Corporation Limited (M.D.)

जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office

प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-II

First Floor, LIC Investment Building, Phase-II

अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005

Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S.
M.P.
उप वन संरक्षक
चुरु

भवदीय



(Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jaipur Divisional Office, First Floor,
LIC Investment Building, Phase-II,
Jaipur
(सुधांशु अरोड़ा)
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल), Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल आई सी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

C.S.
उप वन संरक्षक
चुरू

भवदीय

(Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jaipur Divisional Office, First Floor,
LIC Investment Building, Phase-II,
Jaipur
(सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एन आई सी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में यह है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S.
M.
उप वन संरक्षक
चुरू

भवदीय



(Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd.

Jaipur Divisional Office, First Floor,

(सुधांशु अरोरा / Sudhanshu Arora)
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
पथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur – Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-15 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (15) की अनुपालना में यह है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S.
41-
उप वन संरक्षक
चुरू

भवदीय



(Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd.

Jaipur Divisional Office, First Floor,
LIC Investment Building, Phase-II
Jaipur
(सुधांशु अरोरा / Sudhanshu Arora)
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर पण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रधान तल एल आई सी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास भयवरा सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawara Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-16 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (16) की अनुपालना में यह है कि अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरपत्र प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

C.S.
4/11
उप वन संरक्षक
घुस

भवदीय



(Sudhanshu Arora)

Chief Manager (Retail Sales)

Indian Oil Corporation Ltd.

Jaipur Divisional Office, First Floor,

LIC Investment Building, Phase-II

(सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)

मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)

Indian Oil Corporation Limited (M.D.)

जयपुर मण्डल कार्यालय/ Jaipur Divisional Office

प्रथम तल एवं आई सी बिल्डिंग, फेस-II

First Floor, LIC Investment Building, Phase-II

जयपुर-302005

Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

कार्यालय उप वनसंरक्षक, चूरु:

ई-मेल पता :-

कार्यालय सूचनासंख्या 01582-250938

कार्यालय पता : वानिकीपथ, नेचरपार्क, चूरु def.churu.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- एफ () सर्वे/उवसं/2024/ 5586

दिनांक:- 10-07-2024

निमित्त

श्रीमान उप वन संरक्षक(एफ.सी.ए.),

अरण्य भवन, राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय: Diversion of 0.0712 ha. Forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation. Retail Outlet on Jaipur Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486 At village Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, Dist. Churu, Raj. (Proposal No. FP/RJ/Road/49638/2020)

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 1843 दिनांक 10.07.2024 के क्रम में।

CP-23

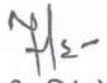
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जिला स्तरीय समिति, उपखण्ड स्तरीय समिति एवं ग्राम स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न प्रेषित है।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।

क्रमांक:-सम 5587

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।


(भवानी सिंह)

उप वन संरक्षक

चूरु

दिनांक:- 10-07-2024


उप वन संरक्षक

चूरु

FORM-1
(For Linear Projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Churu

No.P.12(2)(104)Rev./2022/ 831-833

Date 03.08.2023

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3 August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for Non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where In MoEF Issued certain relaxation in respect linear projects, it is certified that **0.0712 Hectares** of forest land of forest range Ratangarh, District Churu proposed to be diverted in favour of **INDIAN OIL CORPORATION LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed INDIAN OIL CORPORATION LIMITED Retail Outlet on Jaipur- Bikaner NH-11 BETWEEN KM Stone No. 450-451 (CHAINAGE: 450.394-450.439) LHS IN Khasra No. 486 At Village Rajaldesar, Tehsil Ratangarh, District Churu (Rajasthan) falls within jurisdiction of Churu.**

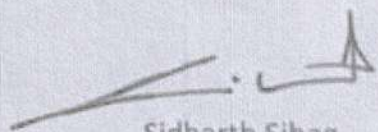
It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.0712 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed with annexure A and B.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed.

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: As Above



Sidharth Sihag
District Collector, Churu

No.P.12(2)(104)Rev./2022/ 831-833

Date 03.08.2023

Copy Forwarded to :

1. DCF Churu as Member for N.A.
2. CEO, Z.P. Churu as Member Secretary for N.A.
3. Applicant Naveen Parakh S/o Navratan Parakh, M/S Parakh Automobiles, NH-11, Rajaldesar, Distt. Churu.


Paras Ram Meena
Chief Executive Officer,
Zila Parisad, Churu



कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु (राजस्थान)

क्रमांक: प012(02)(104)राजस्व/2022/824-830

दिनांक-03.08.2023

—: एफ.आर.ए. की बैठक कार्यवाही विवरण :—

आज दिनांक 13.03.2023 को प्रातः 11.00 बजे वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 में वर्णित जिला स्तरीय समिति के कर्तव्यों का वर्णन एवं विश्लेषण करने हेतु श्रीमान् सिद्धार्थ सिहाग जिला कलक्टर, चूरु की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया:—

क्र. सं.	प्रकरण का नाम	क्षेत्रफल	संबंधित संस्था
1	IOCL के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम राजलदेसर के खसरा नं. 486 में रिटेल आउटलेट के लिए आने एवं जाने के लिए प्रस्तावित रोड जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही उपयोग में आने वाली 0.0712 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र के संबंध में।	0.0712 हेक्टेयर	आवेदक श्री नवीन पारख पुत्र नवरत्न पारख, मैसर्स पारख ऑटोमोबाइल्स, एन. एच.11, राजलदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरु।

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे:—

1. श्रीमती सविता दहीया, उप वन संरक्षक चूरु।
2. श्री परस राम मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चूरु।

बैठक में निम्नांकित सदस्य अनुपस्थित रहे:—

1. श्री मालीराम सारस्वत, ग्राम पायली तहसील रतनगढ़ जिला चूरु।
2. श्री लोकराम मेघवाल, ग्राम बास भरीण्ड पो. बेयड़ तहसील राजगढ़ जिला चूरु।
3. श्रीमती दुर्गा मेघवाल, गा. राजासर चोड़िया, पो. भोजासर छोटा, तह. सरदारशहर जिला चूरु।

बैठक में क्र.सं. 1 पर अंकित IOCL के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम राजलदेसर के खसरा नं. 486 में रिटेल आउटलेट के लिए आने एवं जाने के लिए प्रस्तावित रोड जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही उपयोग में आने वाली 0.0712 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र के संबंध में प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/49638/2020 Date 11.09.2020 के लिए वन विभाग की भूमि के खसरा नं. 486 में से 0.0712 हेक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है, पर विचार विमर्श किया गया। उक्त वन भूमि का नगरपालिका मण्डल, राजलदेसर की आम बैठक दिनांक 12.01.2023 के द्वारा सर्वसहमति से अभिशंका की गयी है एवं उपखण्ड स्तरीय कमेटी रतनगढ़ की बैठक दिनांक 18.01.2023 के द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के तहत प्रस्ताव अनुसार इस भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लंबित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है न ही कोई व्यक्ति

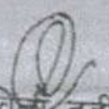


कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु (राजस्थान)

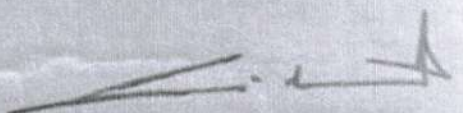
विशेष/समुदाय के उक्त अधिनियम प्राप्त नहीं हुआ है, प्रकरण में ग्राम राजलदेसर के खस नं. 486 में रास्ता व आवागमन हेतु वन भूमि 0.0712 हैक्टेयर के डायवर्जन में आपत्ति नहीं है।

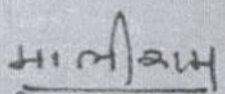
उक्त प्रस्ताव में उल्लेखित भूमि में वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अधिकारों से संबंधित कोई दावा लम्बित नहीं होने तथा ऐसे किसी कृषक के हित प्रभावित नहीं होते हैं और ना ही कोई प्रकरण प्रस्तावित है।

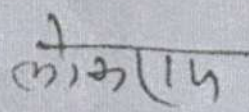
चूंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चूरु द्वारा मनोनीत तीनों जिला परिषद सदस्यों को सूचित करने के बावजूद वे मीटिंग में अनुपस्थित रहें। समिति के उपस्थित सदस्यों का मत है कि FRA प्रमाण-पत्र जारी करने में कोई बाधा नहीं है। इस कारण से अध्यक्ष महोदय एवं समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मनोनीत जिला परिषद सदस्यों द्वारा उक्त बैठक की कार्यवाही का (By Circulation) अनुमोदन करवा लिया जाये, यदि उनके द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है तो वन भूमि के डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में आगामी कार्यवाही किये जाने का निर्णय सर्व सहमति से लिया गया।


(सविता दहीया)
उप वन संरक्षक,
चूरु


(परस रास मीणा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, चूरु


(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर, चूरु


(मालीराम सारस्वत)
जिला परिषद सदस्य, चूरु
ग्रा. पायली तह. रतनगढ़


(लोक राम मेघवाल)
जिला परिषद सदस्य, चूरु
ग्रा. बास भरीण्ड, पो. वेवड़ तह. राजगढ़

(दुर्गा मेघवाल)
जिला परिषद सदस्य, चूरु
ग्रा. राजासर चोड़िया पो. भोजासर छोटा
तह. सरदारशहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रतनगढ (चूरु)

क्रमांक - राजस्व/2021/58

दिनांक - 18.01.23

आदेश

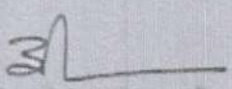
परिषद् क्रमांक प 6 (14)प सु/अनु-3/2008(1) दिनांक 14.3.2008 के अनुसार व अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधन नियम सितम्बर 2021 के नियम 5 व 6 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में दिनांक 18.01.2023 को प्रातः 11:00 बजे सम्पन्न हुई बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण/सदस्यगण उपस्थित हुए।

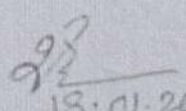
1. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका राजलदेसर
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी रतनगढ
3. अध्यक्ष नगरपालिका राजलदेसर

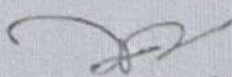
बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नांकित विचारार्थ रखा गया।

1. ग्राम राजलदेसर के खसरा नं. 486 एनएच-11 सीकर बीकानेर आई.ओ.सी.एल. के पेट्रोल पंप लगाये जाने हेतु हेतु अप्रोच रोड के संबंध में आवेदक नवीन पारख पुत्र नवस्तन गणेश नैसर्स पारख ओटोमोबाइल्स एन एच 11 राजदेसर के प्रकरण में रास्ता/आवागमन हेतु वन भूमि 0.0712 हेक्टर के डायवर्जन बाबत प्रकरण बैठक में रखा गया, इस संबंध में वन अधिकारों की मान्यता नियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के तहत नगरपालिका राजलदेसर द्वारा आम बैठक दिनांक 12.01.2023 के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, प्रस्ताव अनुसार इस भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लबित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है न ही कोई व्यक्ति विशेष/समुदाय के उक्त अधिनियम प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण में ग्राम राजलदेसर तहसील रतनगढ जिला चूरु के खसरा नं. 486 में रास्ता व आवागमन हेतु वन भूमि 0.0712 हेक्टर के डायवर्जन में आपत्ति नहीं है।

अतः कमेटी द्वारा उक्त भूमि का अनुमोदन किया जाता है एवं सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशथा की जाती है।


अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका राजलदेसर


18.01.2023
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रतनगढ


उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ
अध्यक्ष
नगरपालिका राजलदेसर



Rajasthan State Pollution Control Board
First Floor, Cooperative Land Development Bank Ltd, Nagour
Phone: 8003076666 Fax: 8003076666
Registered



ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION FOR CONSENT UNDER THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 AND THE AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 FOR SMALL SCALE / TINY INDUSTRIES UNDER GREEN CATEGORY UPTO AN INVESTMENT OF RS. 5.00 CRORES.

File No : F(Tech)/Churu(Ratangarh)/1766(1)/2021-2022/631-632

Order No : 2021-2022/Nagour/8343

From :

Date : 8/12/2021

EE

Rajasthan State Pollution Control Board,
First Floor, Cooperative Land Development Bank Ltd, Nagour

To,

M/s PARAKH AUTOMOBILES (UnitID:113982)

KHASRA NO. 486, KMS-448-452, SERVO OIL DEPOT, NH-11, RAJALDESAR Tehsil:Ratangarh
District:Churu

I / We hereby acknowledge the receipt, in this office, on 23/08/2021 of your application dated 23/08/2021 for **Consent to Establish** for (project / process / activity name) **PARAKH AUTOMOBILES** under section of 21 of the Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981 having capital cost of the project Rs. **42.45 Lacs** duly filled in and accompanied by prescribed fee Rs. **3,000.00** and requisite documents.

This acknowledgement of the consent application shall be treated as **Consent to Establish**, of the State Board, under section of 21 of the Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981 to **Consent to Establish** your industry at **KHASRA NO 486, KMS-448-452, SERVO OIL DEPOT, NH-11 RAJALDESAR Tehsil:Ratangarh District:Churu** and there would be no need for the industry to obtain periodical renewal of consent, till such time the unit modifies / changes its processes provided that -

- 1.The acknowledgement shall be subject to the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986.
- 2.This acknowledgement will not be used as an evidence for ascertaining the land title and its use.
- 3.The acknowledgement is from the point of view of control of pollution, and does not absolve the unit from making compliance of the other statutory obligations, prescribed under any other law or instrument, for the time being in force and the directions passed by the Hon'ble Courts.
- 4.The State Board shall have the right to conduct random checks or call information from the unit and make a formal consent order prescribing conditions etc., as required.
- 5.The Industry falls under **Green Category - Automobile fuel outlet (only dispensing) having adequate arrangements for vapor collection during dispensing** as per Head Office Order No. F.14(23) Policy/RPCB/Plg./153-189 dated 02/06/2020.

Validity unknown

Digitally signed by Arvind Kumar
Agarwal
Date: 2021.12.08 18:26:52 IST
Reason: Self Attested
Location:



Specific Condition :

- 1 That this acknowledgement is being issued for the Automobile fuel outlet (only dispensing) of PETROL (MS) 1500 Ltr./Day, Diesel (HSD) 3000 Ltr./Day & Lubricant Oil 150 Ltr./DAY Sought by SHRI NAVEEN PARAKH at Khasra no. 486, NH-11, Village - RAJALDESAR, Tehsil - RATANGARH, District - CHURU, which is dully converted for petrol pump use by Nagar Palika Mandal, Rajaldesar, Churu vide dated 06.01.2015.
- 2 The total capital investment in the project without depreciation shall not exceed 42.45 lacs.
- 3 That ground water shall not be abstracted without prior approval of Central Ground Water Authority. Besides no trade effluent shall be generated from the facility.
- 4 That this acknowledgement is being issued on the basis of documents/ information uploaded by the applicant/industry/process/project. The liability of veracity and correctness of the uploaded document/information shall solely be of the applicant only.
- 5 In case, any direction for closure has been issued by the State Board for the same premises and has not been withdrawn, then this acknowledgment shall not be considered as consent, in any case and shall be treated null & void.
- 6 That this acknowledgement of consent application shall cease to be valid in case of any change in product/process/operation/raw material/capacity/area or in information/document submitted /uploaded at the time of seeking consent.
- 7 That submission of any incorrect or partial information/false documents or concealment or misrepresentation of material facts shall make the applicant/industry/process/project liable for legal action, jointly as well as severally, under the provisions of the Indian Penal Code'1860, Information Technology Act'2000, & Air (Prevention & Control of Pollution) Act'1981, which may include imprisonment and/or penalty as per the provisions of the statutes.
- 8 That unit shall comply with all the provisions and conditions as mentioned by guidelines issued by Central Pollution Control Board O.M. dated 07.01.2020 and addendum dated 16.08.2021. (Copy enclosed).
- 9 That the total sludge and other hazardous waste shall be disposed as per Rule no. 08 of Hazardous Waste (Management and Trans-boundary Movement) Rules 2016 and amendments.
- 10 That the unit/ petrol pump shall obtain the authorization for hazardous waste under Hazardous Waste (Management and Trans-boundary Movement) Rules 2016 and further amendments.
- 11 The unit shall comply with the provisions of Public Liability Insurance Act, 1991 and any further amendments, if applicable.
- 12 The unit shall comply with the provisions of "Manufacture, Storage, and Import of. Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989" under the Environment. (Protection) Act, 1986 and any further amendments, if applicable.
- 13 The filling station shall get permission for establishment of fuel station from competent authorities such as District Administration, LSG, PESO etc.
- 14 This acknowledgment is not evidence for ascertaining entitlement of land.
- 15 This acknowledgement shall be subjected to compliance of any direction or order passed by court of law in matter.
- 16 That the grant of this acknowledgement is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.

Validity unknown

Digitally signed by A. Vind Kumar
Agarwal
Date: 2021.12.06 18:26:52 IST
Reason: SelfAttested
Location:



This acknowledgement is in accordance with the directions issued by the Central Pollution Control Board vide letter no. B - 29014/1/90/PCI - I/17793 dated 21-10-1992.

Copy To :

EE

1 Master File.

EE

Validity unknown

Digitally signed by Arvind Kumar
Agarwal
Date: 2021.12.08 18:26:52 IST
Reason: Self Attested
Location:



FORM-1

(For Linear Projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Churu

No.P.12(2)(104)Rev./2022/ 831-833

Date 03.08.2023

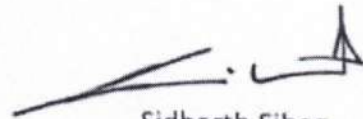
TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3 August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for Non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where In MoEF Issued certain relaxation in respect linear projects, it is certified that **0.0712 Hectares** of forest land of forest range Ratangarh, District Churu proposed to be diverted in favour of **INDIAN OIL CORPORATION LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed INDIAN OIL CORPORATION LIMITED Retail Outlet on Jaipur- Bikaner NH-11 BETWEEN KM Stone No. 450-451 (CHAINAGE: 450.394-450.439) LHS IN Khasra No. 486 At Village Rajaldesar, Tehsil Ratangarh, District Churu (Rajasthan)** falls within jurisdiction of Churu.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.0712 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed with annexure A and B.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed.
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: As Above



Sidharth Sihag
District Collector, Churu

No.P.12(2)(104)Rev./2022/ 831-833

Date 03.08.2023

Copy Forwarded to :

- DCF Churu as Member for N.A.
- CEO, Z.P. Churu as Member Secretary for N.A.
- Applicant Naveen Parakh S/o Navratan Parakh, M/S Parakh Automobiles, NH-11, Rajaldesar, Distt. Churu.

(Signature) **Shashank Arora**
 Indian Oil Corporation Limited (Retail Sales)
 Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
 First Floor, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

Date: 07.03.2024

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERNS

This is to certify that **M/s Parakh Automobiles** is maintaining a Current Account with our branch vide A/c No : 61129366658 with our Rajaldesar Branch(31738), IFSC: SBIN0031738.

On 04-03-2022 an RTGS transaction was done vide UTR No. SBINR52022030470350523 to the beneficiary having A/c No : 150856149638134 and IFSC Code : UBIN0903710 from this account 61129366658 and funds are settled as well.

This certificate has been issued on specific request of M/s Parakh Automobiles without any risk or responsibility of Bank or its officials signing below.



Tel: 01567-232584
Fax: 01567-232382
Email: sbi.31738@sbi.co.in

शाखा : राजलदेसर
ज़िला : चुरू (राज.)
पिन : 331802

Branch : Rajaldesar
Distt. : Churu (Raj)
PIN : 331802

27.2.2024

MONDAY

BIN 224149957667

Application for NEFT/RTGS Remittance
 through State Bank of India

28-5-24
 para H Auto Mobile

Remittance From

Remittance To

By Cheque Transfer to

in the

of Bank

Branch

in favour of

Account No.

for the Amount

in the Bank's Charges

Total

and the amount in words

Union Bank of India
 Bangalore
 RAJASTHAN CAMPA

UBIN0996335
 150856149638570
 3244.00
 2.3111

2246/351

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856149638570 Valid only for this challan amount
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through even after 7 working days, then kindly mail a

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-05-2024

Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	6149638578
MoEF/SG File No.	1(103)FOREST/2021
Location.	RAJASTHAN
Address.	Jaipur Divisional office, First Floor, LIC Investment Building, Phase II Jaipur
Amount(in Rs)	3244/-

Amount in Words : Three Thousand Two Hundred and Forty-Four Rupees Only

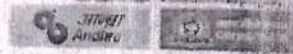
NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856149638578 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-05-2024

Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	6149638578
MoEF/SG File No.	1(103)FOREST/2021
Location.	RAJASTHAN
Address:	Jaipur Divisional office, First Floor, LIC Investment Building, Phase II Jaipur
Amount(in Rs)	3244/-

Amount in Words : Three Thousand Two Hundred and Forty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856149638578 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Application Type Provisional ID Last Modified Profile
Enrolment 08AKPP3309J1ZR 01/06/2017 100%

Business Details

* Indicates mandatory fields

Details of your Business

Legal Name of Business (as per PAN) Legal Name of Business (as per current tax Act) PAN of the Business
NAVEEN PARAKH NAVEEN PARAKH AKPP3309J

Trade Name Constitution of Business*
PARAKH AUTOMOBILES Proprietorship

State Ward/Circle/Sector Ward/Circle/Sector No.*
Rajasthan ward ward Circle-Churu - Ward-3 Headquarter, R.A.

Please indicate existing registration under VAT/Central Excise/Service Tax/Luxury Tax/Entertainment Tax etc. as applicable

Type	Registration No	Date of Registration	Actions
TIN under Value Added Tax	08071553775	17/10/2010	EDIT DELETE
Central Goods Tax Registration Number	08071553775	19/10/2010	EDIT DELETE

17/10/2010

08071553775

TIN under Value Added Tax

19/10/2010

08071553775

Central Goods Tax Registration Number

a Thar vehi- sticks, a liq- litre bottle, bottle, and disclosure sheet says, Nasir's mur- of Bajrang ed an audio WhatsApp red" for the

video with my friend (and up- loaded it online) asking Monu not to come for the yatra and said riots would follow and he would be chased if he attended. The next day, we heard Monu had come and we plotted to assem- ble with 700-800 others armed with lathis, sticks, stones, and illegal weapons. We started vandalis- ing their vehicles and when po-

and vomiting, the chargesheet says, citing documents. Around 15 more accused were identified while charges were pressed against the three.

I declare Jagrati Choubey resident 1/57 New Housing Board Banswara (Raj.) 327001. That my name is Jagrati in the service record of my husband 15486283N LD Vinod Kumar Choubey. Which is wrong, the correct name is Jagrati Choubey. This should be considered correct. Affidavit BM903999

NOTICE

With effect from 09/03/2024 all business activities of our Jhunjhunu Road No. 1 Bhilwara Branch (Balaji Tower, Shop No. 5,6,7, 1st Floor, Opp. Nagar Parisad Jhunjhunu Dt., Pin - 333 001. Ph : 9072694815 / 9072691675) will be shifted to Jhunjhunu Road No. 1 New Branch (House No. 501, H-12, Tibrewal Tower, Near Roadways Bus Stand, Indra Nagar, Jhunjhunu Dt., Pin - 333 001. Ph : 9072694815 / 9072691675) for our operational convenience. Customers may kindly note the change and are requested to approach us at the above mentioned address only for all further transactions and requirements after the said date.

Call: 8429667893 / 9538343549

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN: L65910KL1992PLC006623,
Registered Office : W - 4/ 638A, Manappuram House,
P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

Rs 100 cr unearthed' aids on liquor firm in Balangir and Jharkhand

SERVICE
DECEMBER 7

Tax (I-T) Thursday con- d day on es at proper Distilleries liquor manu- Odisha and the cash un- e searches 0 crore.

re being con- Balangir, Sambalpur, Odisha and some loca-

tions in Jharkhand, sources said.

Tax officials on Thursday also searched properties in Balangir district linked to Baldeo Sahu and Group of Companies, a partner firm of Boudh Distilleries and a leading country-liquor manufac- turing firm. Properties of some liquor traders were also searched.

Though the I-T Department has not yet officially announced the exact amount of cash seized from the searches, sources said the amount would exceed Rs 100 crore.

The highest amount was re- covered from a county-liquor manufacturing unit at Balangir. Sources said searches would be intensified in the next few days.

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Registered office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400051

ICICI HFC Tower, JB Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai- 400059
1st floor, A-Block, Shop No. 8, S.K. Plaza, Above Airtel, Pur Road, Bhilwara- 311001

being the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Limited under the construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the days from the date of receipt of the said notice.

called to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The public and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings will be subject to the charge of ICICI Home Finance Company Limited.

Borrower/Power/Number	Description of property/Date of Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)	Name of Branch
Borrower), (Power), 413453.	Property Situated at Patta No.41, Village Soniyar Gp Soniyana Ps Gangrar Chittorgarh Na Chittorgarh Rajasthan- 312901 (Ref Lan No. LHBLW00001413453). Bounded By- North: Property of Mr. Ramjash Bhati, South: Public Way, East: Property of Lehlulal Jat, West: Property of Mr. Ramjash Bhati./ Date of Possession- 05-Dec-23	14-08-2023 Rs. 8,43,036/-	Bhilwara-B
Borrower), (Power), 413454.	Property Situated at Patta No.41, Village Soniyar Gp Soniyana Ps Gangrar Chittorgarh Na Chittorgarh Rajasthan- 312901 (Ref Lan No. LHBLW00001413454). Bounded By- North: Property of Mr. Ramjash Bhati, South: Public Way, East: Property of Lehlulal Jat, West: Property of Mr. Ramjash Bhati./ Date of Possession- 05-Dec-23	14-08-2023 Rs. 38,479/-	Bhilwara-B

tioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

er 08, 2023
th

Authorized Officer
ICICI Home Finance Company Limited



राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (103) वन/2021
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक- 07 Jan 22

विषय- Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486. At Village - Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu Rajasthan (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

संदर्भ:-आपका पत्रांक एक 14 (435/38) 2020/एफसीए/प्रमुखस/3237 दिनांक- 18.11.2021

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में स्टोन नम्बर 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS के खसरा नम्बर 486 ग्राम राजलदेसर, तहसील रतनगढ़ जिला चुरू में प्रस्तावित पेदोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.0712 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion. of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village Rajaldesar, Tehsil Ratangarh, District - Churu, Rajasthan की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पतन सहित निम्न शर्तों के अध्वधीन प्रदान करती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्बानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती बनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेदोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिलतम्बे स्थानों पर टी गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के सीन (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदुषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पतन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पतन होने पर पतन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सुविजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010-CAMP। दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सुविजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बची हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोक्ता संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
- भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय पीन टिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित कराये एवं जारी स्वीकृति की प्रति एवं स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्त के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित की।

भवदीय,
(बी. प्रवीण) शासन सचिव